न्यायालय, सिविल जज (जूनियर डिविजन),

व्यवहार न्यायालय, जगदीशपुर (भोजपुर), बिहार ।

जिला–भोजपुर (आरा)

हकीयत वाद संख्या -- 111 / 2019

1. **श्री गोपाल जी वगैरह ,**

(सभी का निवास– साकिन–नयका टोला , थाना एवं अंचल–जगदीशपुर , जिला–भोजपुर)............**वादीगण**

बनाम

1. **श्री निरंजन सिंह वगैरह ,**

(सभी का निवास– मौजा– रामचंद्र के बथान , थाना एवं अंचल–जगदीशपुर , जिला–भोजपुर) .....**प्रतिवादीगण**

वादीगणों की ओर से विद्वान अधिवक्ता–	श्री धर्मेश कुमार सिंह ,	अधिवक्ता
प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 06 के विरुद्ध –	एकपक्षीय कार्यवाही	

निर्णय तिथि – 18/10/2019

पीठासीन पदाधिकारी का नाम – नीरज किशोर सिंह

एकपक्षीय निर्णय

1. प्रस्तुत वाद, वादीगणो द्वारा प्रतिवादीगणो के विरुद्ध अन्य औपचारिक अनुतोषों की मांग के साथ इस आशय का लाया गया है की विवादित भूमि (जमीमा न0– क0) पर वादीगणों का हकीयत व दखल–कब्जा संपुष्ट करते यह घोषित किया जाए कि विवादित जमीन वादीगणों की मौरुसी जमीन है एवं यदि किसी प्रतिवादी द्वारा कोई बयनामा विवादित जमीन के निस्वत निष्पादित करवाया गया हो तो वह जाली, फरेबी व शुन्य प्रभावकारी होगा तथा विवादित जमीन पर यदि वादीगण बेकब्जा पायें जायें तो उन्हे कब्जे की पुर्नप्राप्ति करायी जाए एवं तदनुरुप स्थाई निषेधाज्ञा जारी कर प्रतिवादीगणों को विवादित भूमि मे वादीगणो के दखल कब्जे मे किसी भी प्रकार के अवैध हस्तक्षेप व अन्य संक्रामण करने से सदैव के लिये निवारित किया जाए ।

2. वादीगणों का वाद संक्षेप मे यह है कि वाद पत्र के अंत मे वर्णित विवादित जमीन (जमीमा न0 क0) वादीगणो के पुर्वज शिवनारायण सिंह कि पैत्रृक संपति है एवं जिसका नया सर्वे खतियान भी शिवनारायण सिंह, पिता–राधा सिंह के नाम से बना है एवं वादीगण विवादित जमीन के खतियानी रैयत शिवनारायण सिंह के एक मात्र पुत्र रामधिर सिंह के पुत्र व पुत्रवधु है । अग्रतर शिवनारायण सिंह के मृत्यु के पश्चात उनकी समस्त संपति उनके एकमात्र वारिस व पुत्र रामधिर सिंह को स्वत: हस्तांतरित हो गई एवं रामधिर सिंह कि मृत्यु पश्चात उनके वारीसो के रुप मे वादीगणो को विवादित जमीन सहित अन्य समस्त संपतियों पर हकियत व दखल कब्जा हांसिल हुआ । प्रतिवादीगण विवादित जमीन के निस्वत कथित बयनामा के

आधार पर अपना दावा कर रहे है जिसके संबंध मे प्रतिवादीगणो का कहना है कि उक्त वाद के प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 05 के पिता बिरबहादुर सिंह व प्रतिवादी संख्या 06 के पिता मोहन सिंह द्वारा दिनांक 08-06-1970 को पंजीकृत विक्रय विलेख संख्या 5906 के माध्यम से वादीगणो के पुर्वज शिवनारायण सिंह से विवादित जमीन खरिदा गया है , परन्तु उनके द्वारा कथित विक्रय विलेख को न तो वादीगणो को दिखाया जा रहा है और न ही प्रस्तुत किया जा रहा है । चकबंदी के दौरान प्रतिवादीगणो के पुर्वजो द्वारा कथित बयनामा के आधार पर विवादित जमीन का चक खतियान अपने नाम से दर्ज करवा लिया है जो गलत है । दिनांक 04-12-2017 को प्रतिवादीगण विवादित जमीन पर असमाजिक तत्वो के सहयोग से कथित बयनामा व चक खतियान के आधार पर विवादित जमीन का चहारदिवारी निर्माण का प्रयास किया जाने लागा , जिसके विरुध वादीगणो द्वारा धारा 144 सी0 आर0 पी0 सी0 के तहत अनुमंडलाधिकारी , जगदीशपुर के यहा वाद संस्थित किया गया है , जिसके सुनवाई के पश्चात धारा 145 सी0 आर0 पी0 सी0 के तहत करवाई प्रारंभ किया गया , जिसके विरुध प्रतिवादीगण माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश , भोजपुर के न्यायालय मे आपराधिक पुनरीक्षण वाद संख्या 11/2019 दाखिल किया गया है , जिसमे धारा 145 सी0 आर0 पी0 सी0 कि कार्यवाही समाप्त करने का आदेश निर्गत किया गया है । उपरोक्त आदेश के पश्चात प्रतिवादीगण अप्रैल सन् 2019 मे जबरन विवादित जमीन पर दखल कब्जा का प्रयास करने लगे व विवादित जमीन को किसी अन्य व्यक्ति को विक्रय करने का प्रयास करने लगे , जबकि प्रतिवादीगणो को विवादित जमीन पर न तो कभी हकियती अधिकार ही हासिल हुआ है और न ही उनका कभी दखल कब्जा ही रहा है । अग्रतर वादीगणो के पुर्वज शिवनारायण सिंह द्वारा कभी कोई विक्रय विलेख निष्पादित नही किया गया है एवं यदि कोई विक्रय विलेख प्रतिवादीगणो के पास यदि है , तो वह जाली, फरेबी व शुन्य प्रभावकारी ही होगा । विवादित जमीन वादीगणो कि मौरुसी जमीन है एवं जिसका खतियान भी वादीगणो के पुर्वज शिवनारायण सिंह के नाम से बना है एवं उसका रसीद भी शिवनारायण सिंह के नाम से कटता है तथा प्रतिवादीगणो का विवादित जमीन पर कोई हक हकियत व दखल कब्जा प्राप्त नही है । वादीगणों का वाद हेतुक दिसम्बर 2017 मे विवादित जमीन पर गलत दावा पेश करने एवं अप्रैल 2019 को उस समय उत्पन्न हुआ जब प्रतिवादीगणो द्वारा विवादित जमीन पर जबरन दखल कब्जा करने का प्रयास किये जाने लगा तथा दिनांक 29-04-2019 को प्रतिवादीगणों द्वारा विवादित जमीन के निस्वत अपना दावा छोडने से अन्तिम रुप से इन्कार कर दिया गया ।

3. तदुपरांत वाद का मुल्यांकन 145000 /-रुपया करते हुए न्याय शुल्क के साथ निर्णय की कण्डिका -1 मे अंकित अनुतोष की मांग हेतु प्रस्तुत वाद दाखिल किया गया है ।

4. सुनवाई के उपरान्त सभी तथ्यों एवं दस्तावेजी साक्ष्यों के परिशीलन पश्चात आवश्यक प्रतीत पाये जाने पर प्रस्तुत वाद पत्र को माननीय न्यायालय द्वारा ग्रहण किया गया तत्पश्चात प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 06 के विरुध उपस्थिती हेतु नियमानुसार सभी आवश्यक आदेशिकायें यथा समन, रजिष्ट्री एवं प्रकाशन के पश्चात भी प्रतिवादीगणों के उपस्थित नही होने पर दिनांक 17-09-2019 को न्यायालय के आदेश द्वारा प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 06 के विरुध एकपक्षीय कार्यवाही प्रारंभ की गयी।

अब प्रश्न यह उठता है कि :-

1. क्या वादी के द्वारा यह वाद पोषणीय है ?

2. क्या वादी को वाद संस्थित करने के संबंध मे वाद का कारण उपलब्ध है ?

3. क्या वादी अपने वाद–पत्र मे मांगे गये अनुतोष एवं किसी अन्य अनुतोषों को पाने का अधिकारी है ? ।

वाद में प्रस्तुत साक्ष्य

5. प्रस्तुत वाद में वादीगणों की ओर से मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है । मौखिक साक्ष्य के रुप मे कुल 04 साक्षियों को परिक्षीत कराया गया वादीगणों कि ओर से जिनका नाम क्रमश:–

   i. **वादी साक्षी संख्या 01** श्री गोपाल जी (वादी संख्या 01) ,

   ii. **वादी साक्षी संख्या 02** श्री बलिराम सिंह (वादी संख्या 03) ,

   iii. **वादी साक्षी संख्या 03** श्री ओमप्रकाश सिंह (वादी संख्या 04) ,

   iv. **वादी साक्षी संख्या 04** श्री श्रीभगवान चौधरी (औपचारिक साक्षी) ।

6. उक्त मौखिक साक्षियो के अतिरिक्त वादीगण कि ओर से दस्तावेजी साक्ष्य के रुप मे :

   i. (प्रदर्श 01) मालगुजारी रसीद 02 फर्द ,

   ii. (प्रदर्श 02) खाता संख्या 529 के सर्वे खतियान के प्रमाणित प्रतिलिपी ,

   iii. (प्रदर्श 03) खाता संख्या 529 के अधिकार अभिलेख कि प्रतिलिपी ।

मंतव्य

7. उक्त वाद मे मुख्य विवाद्यक विषय यह है कि क्या विवादित जमीन वादीगणों के पूर्वजो कि मौरुसी जमीन है एवं वादीगणों को उस पर हकियत एवं दखल कब्जा प्राप्त है तथा प्रतिवादीगणो द्वारा जिस बयनामा के आधार पर विवादित जमीन पर हकियती अधिकार व दखल कब्जा कि बात कही जा रही है वह गलत है । वादीगणों कि ओर से मौखिक साक्ष्य के रुप मे वादी साक्षी संख्या 01 श्री गोपाल जी (वादी संख्या 01) , वादी साक्षी संख्या 02 श्री बलिराम सिंह (वादी संख्या 03) , वादी साक्षी संख्या 03 श्री ओमप्रकाश सिंह (वादी संख्या 04) , वादी साक्षी संख्या 04 श्री श्रीभगवान चौधरी (औपचारिक साक्षी) को प्रस्तुत किया गया है जिन्होने शपथ–पत्र पर दाखिल किये गये मुख्य परीक्षण में वादीगणो द्वारा संस्थित वाद–पत्र मे किये गये अभिकथनों का पूर्ण समर्थन करते हुये कहा है कि उक्त वाद का विवादित जमीन वादीगणो कि मौरुसी जमीन है तथा जिसका सर्वे खतियान भी वादीगणो के पुर्वज के नाम से बना है तथा जिसका मालगुजारी रसीद भी वादीगणो के पुर्वजो के नाम से कट रहा है एवं प्रतिवादीगणो द्वारा दिनांक 8–06–1970 को जो कथित विक्रय विलेख संख्या 5906 निष्पादित कराया गया है वह जाली, फरेबी व शुन्य प्रभावकारी है एवं वह कभी प्रभाव मे नही आया है तथा कथित बयनामा के आधार पर विवादित जमीन का चकबंदी खतियान भी गलत तैयार करवा लिया गया है , परन्तु कथित बयनामा एवं चक खतियान के आधार पर जब प्रतिवादीगणो द्वारा विवादित जमीन पर दखल कब्जा का प्रयास किया जाने लागा तब वादीगणो को विवादित जमीन के निस्वत हकियती अधिकार व दखल कब्जा कि घोषणा हेतु वाद लाने के आवश्यकता पडी । अग्रतर वादी साक्षी संख्या 01 श्री गोपाल जी (वादी संख्या 01) , वादी साक्षी संख्या 02 श्री बलिराम सिंह (वादी संख्या 03) , वादी साक्षी संख्या 03 श्री ओमप्रकाश

सिंह (वादी संख्या 04) ने अपने प्रतिपरीक्षण/न्यायालय प्रश्न के दौरान यह कहा है कि विवादित जमीन को कभी भी उनके पुर्वजो ने प्रतिवादीगणो को विक्रय नही किया है परन्तु प्रतिवादीगणो द्वारा गलत ढंग से विवादित जमीन पर जबरन दखल कब्जा का प्रयास किया जा रहा है । चुँकि उक्त वाद मे सभी प्रतिवादीगणो के विरुध वाद कि कार्यवाही एकपक्षीय हुई है , जिसके पश्चात वादीगणो द्वारा अपने मौखिक साक्ष्य मे अभिकथित किये गये तथ्यो पर विश्वास करने कि सिवाय अन्य कोई विकल्प प्रतित नही होता है , क्योकि बिना प्रतिपरीक्षण के उपरोक्त मौखिक साक्षियो के साक्ष्य को विश्वस्नीयता कि कसौटी पर खण्डित नही किया जा सकता है ।

8. उपरोक्त मौखिक साक्षियो के परिक्षणोपरान्त वादीगणो कि ओर से दाखिल दस्तावेजी साक्ष्यो का अवलोकन अपरिहार्य है , क्योंकि किसी भी सिविल प्रकृति के वाद मे वाद का समुचित निस्तारण दस्तावेजी साक्ष्यो के आधार पर ही निर्भर होता है । वादीगणो कि ओर से दस्तावेजी साक्ष्य के रुप मे (प्रदर्श 01) मालगुजारी रसीद 02 फर्द , (प्रदर्श 02) खाता संख्या 529 के सर्वे खतियान के प्रमाणित प्रतिलिपी , (प्रदर्श 03) खाता संख्या 529 के अधिकार अभिलेख कि प्रतिलिपी दाखिल किया गया है । उपरोक्त दस्तावेजी साक्ष्यो के अवलोकन से विदित होता है कि विवादित जमीन का खाता संख्या 529 के सर्वे खतियान कि प्रमाणित प्रतिलिपी के रैयती खाने मे शिवनारायण सिंह (वादीगणो के दादा) , पिता–राधा सिंह का नाम दर्ज है तथा खाता संख्या 529 के संबंध मे राजस्व एवं भुमि सुधार विभाग , बिहार सरकार के द्वारा निर्गत अधिकार अभिलेख कि प्रतिलिपी मे भी रैयत का नाम शिवनारायण सिंह , पिता–राधा सिंह इन्द्राज है एवं एक अन्य महत्वपुर्ण दस्तावेजी साक्ष्य खाता संख्या 529 के संबंध मे सन् 2017–18 के मालगुजारी रसीद मे भी रैयत का नाम शिवनारायण सिंह दर्ज है । उपरोक्त समस्त मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यो के अवलोकनोपरान्त यह तथ्य पूर्णतया प्रमाणित होता है कि विवादित जमीन वादीगणो के पुर्वजो कि पैतृक संपति है तथा सर्वे खतियान भी वादीगणो के पुर्वजो के नाम से तैयार हुआ है , जिस पर उतराधिकारी के हैसियत से वादीगणो का हकियती अधिकार निर्विवाद रुप से कायम है तथा खाता 529 के संबंध मे सन् 2017–18 का मालगुजारी रसीद भी यह प्रमाणित करता है कि विवादित जमीन पर वर्तमान मे वादीगणो का ही दखल कब्जा चला आ रहा है । उपरोक्त मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यो के अवलोकनोपरान्त यह भी धारित किया जाता है कि प्रतिवादीगणो द्वारा विवादित जमीन के निस्वत जिस कथित विक्रय विलेख संख्या 5906 को वादीगणो के पुर्वज शिवनारायण सिंह द्वारा दिनांक 08–06–1970 को निष्पादित किये जाने कि बात कही जा रही है वह वर्तमान समय तक प्रभावी न होने के कारण शुन्य प्रभावकारी प्रतित होती है , क्योकि यह असंम्भव प्रतित होता है कि जब कथित बयनामा सन् 1970 मे प्रतिवादीगणो द्वारा निष्पादित कराया गया , उसके पश्चात आज दिनांक तक सर्वे खतियान के इन्द्राज मे सुधार कर शिवनारायण सिंह कि जगह प्रतिवादीगणो का नाम क्यों नही प्रतिस्थापित करवाया जा सका है । वादीगणों की ओर से दाखिल एक अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्य आपराधिक पुनरीक्षण वाद संख्या 11/2019 मे 14 वें माननीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोजपुर के द्वारा दिनांक 22–04–2019 के आदेश की प्रति दाखिल की गयी है जिसमे दिनांक 19–12–2018 को अनुमण्डलाधिकारी, जगदीशपुर द्वारा निर्गत आदेश को रद्द कर दिया गया है । उपरोक्त आधारो पर यह कहा जा सकता है कि वादीगणो को ही विवादित जमीन पर हकियत व दखल कब्जा प्राप्त है तथा यदि पश्चातवर्ती प्रक्रम पर वादीगणो को विवादित जमीन से प्रतिवादीणो द्वारा अविधिक रुप से वेदखल कर दिया गया हो तो वैसी दशा मे उन्हे न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से विवादित जमीन पर दखल

कब्जे कि पुर्नप्रप्ति का पुर्ण अधिकार होगा । अतएव यह प्रमाणित होता है कि वादीगणो का वाद पोषणीय है तथा वादीगणो को वाद के संबंध मे वाद का कारण उपलब्ध है, जिसके कारण वादीगण अपने द्वारा मांगे गये अनुतोष को प्राप्त करने का अधिकारी है । अतएव उपरोक्त विवाद्यक को वादीगणो के पक्ष मे निर्णित किया जाता है ।

आदेश

उपरोक्त कारणों, अभिलेख पर उपस्थित साक्ष्यों के सम्यक विश्लेषण एवं वाद की परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि वादीगण अपने वाद को अधिसंभाव्यता की बहुलता की सीमा तक साबित कर पाने मे सफल रहें है । तदनुसार वादीगणो का वाद प्रतिवादीगणों के विरुद्व बिना खर्चे के व बिना संघर्ष के डिक्रीत किया जाता है ।

स्वयं के द्वारा लेखबद्व एवं शुद्धिकृत | लेखबद्व

नीरज किशोर सिंह | नीरज किशोर सिंह

मुंसिफ, जगदीशपुर, (भोजपुर), | मुंसिफ, जगदीशपुर, (भोजपुर